संख्या – 591/आठ–4–96–629एन/95

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल, 2008

विषय : रूपये 50 लाख से अधिक के नजूल भूखण्ड, जिनका भू–उपयोग व्यवसायिक है, के फ्री होल्ड का अधिकार भी जिला अधिकारी/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–82/9–आ–4–96–629 एन/95, दिनांक 17.02.1996 निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 17.02.96 के प्रस्तर–7 में यह प्राविधान है कि नजूल भूमि के फ्री होल्ड करने की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर की जायेगी, लखनऊ में यह कार्यवाही उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी परन्तु जिन मामलों में प्रचलित भू–उपयोग व्यवसायिक है तथा फ्री होल्ड की धनराशि रूपये 50 लाख से अधिक है उन मामलों में फ्री होल्ड की कार्यवाही मण्डलायुक्त स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

2.इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरानत यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में प्रचलित भू–उपयोग व्यवसायिक है तथा फ्री होल्ड की धनराशि रूपये 50 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) से अधिक है, उन मामलों में भी फ्री होल्ड की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें मुख्य कोषाधिकारी या वरिष्ठ कोषाधिकारी या कोषाधिकारी (यथास्थिति) और अपर जिलाधिकारी (नजूल) अथवा नजूल से संबंधित कार्य देखने वाले अपर जिलाधिकारी, सदस्य होंगे की संस्तुति के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। लखनऊ में यह कार्यवाही उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक और नजूल कार्य देखने वाले वरिष्ठतम अधिकारी, सदस्य होंगे, की संस्तुति के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

3.उपरोक्त सीमा तक उक्त प्रस्तर–1 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.02.1996 संशोधित समझा जाय।

4.यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–8–1420/दस–2008, दिनांक 28 मार्च, 208 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या : 591(1)/8–4–08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त स्थानीय निकाय, उ.प्र.।
2. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8
3. गोपन अनुभाग–1

आज्ञा से,

विष्णु प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।